भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3310

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन**

**3310. डा॰ सत्यनारायण जटिया :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की कार्यान्वयन समिति के गठन के उपरान्त प्रत्येक बैठक में ‘वार्षिक कार्यक्रम’ के अनुसार स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त करने के किए गए उपाय क्या है तथा इन्हें कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा ‘वार्षिक कार्यक्रम’ में निर्धारित लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध में, विधि और न्‍याय मंत्रालय द्वारा निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन किया गया।
2. 4 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
3. 25 प्रतिशत अनुभागों का राजभाषायी निरीक्षण किया गया।
4. 9 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण हेतु नामनिर्दिष्ट किया गया।
5. 6 टंककों को हिंदी टंकण हेतु नामनिर्दिष्ट किया गया।
6. प्रशासनिक शब्‍दावली को सभी अनुभागों में वितरित किया गया।
7. हिंदी पत्राचार 72 % से अधिक किया जा रहा है।
8. कंप्‍यूटर सहित सभी इलेक्‍ट्रॉनिक उपस्कर द्विभाषी हैं ।
9. फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखी जा रही हैं। तारीख 31.12.2017 को समाप्त तिमाही में, फाइलों पर हिंदी में लिखी गई टिप्पणियां 41% से अधिक हैं ।
10. राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठक प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से संयोजित हो रही है। अंतिम बैठक 28 दिसंबर, 2017 को आयोजित की गई थी।
11. मंत्रालय की सभी नाम पट्टिकाएं और रबड़ की मुहरें द्विभाषी रूप में तैयार की गई हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*